



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1943 (श०)
(सं० पटना 80) पटना, बुधवार, 23 फरवरी 2022

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
18 फरवरी 2022

सं० 09/सी0बी0आई0-80-07/2021-1484/गृ०आ०—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 (1946 का अधिनियम-25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पातेपुर थाना कांड संख्या-187/2021, दिनांक-06.09.2021, धारा-420/408/409/467/468/469/470/120(बी), भा०द०वि०, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कस्तूरी सराय शाखा, जिला-वैशाली में धोखाधड़ी से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार,
सरकार के सचिव

The 18th February 2022

No. 9/C.B.I-80-07/2021-1484/ HP—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate/supervise and inquire into the Patepur P.S. Case No-187/2021, Dated-06-09-2021, Section-420/408/409/467/468/469/470/120(B) I.P.C. which relates to fraud in Uttar Bihar Gramin Bank, Kasturi Sarai Branch, District-Vaishali.

By order of the Governor of Bihar,

K. Senthil Kumar,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 80-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>